**<u>अभिलेखों की सूची जिनकी स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति की स्केन कॉपी आवेदन भरते समय अपलोड की जाना होगी –</u>**

1. इन अभिलेखों को ऑन लाईन आवेदन भरने के पहले ही स्केन कर रख लिया जावे।
2. किसी भी सेक्शन में केवल एक फाईल ही अपलोड की जा सकेंगी अतः एक से अधिक पृष्ठ एक ही फाईल के रुप में स्केन कियें जाएं।

| क्रमांक | अभिलेख |
|---|---|
| 1 | आवेदक की पासपोर्ट साईज फोटो |
| 2 | आवेदक को निर्माता द्वारा दी गई पावर ऑफ अटर्नी (*विवरण देखे*) |
| 3 | जानकारी की सत्यता के संबंध में शपथ–पत्र (*परिशिष्ट क्रमांक 1 अनुसार*) |
| 4 | TIN सर्टिफिकेट |
| 5 | PAN सर्टिफिकेट |
| 6 | स्वयं के नाम ब्रॉन्डनेम होने की स्थिति में ब्रॉन्डनेम सर्टिफिकेट |
| 7 | ब्रॉन्डनेम आवेदित होने की स्थिति में ब्रॉन्डनेम आथारिटी को किये गये आवेदन की प्रति |
| 8 | दूसरे के नाम पंजीकृत ब्रॉन्डनेम उपयोग करने की स्थिति में दोनों पार्टी के बीच ब्रॉन्डनेम उपयोग करने की सहमति का अनुबंध |
| 9 | ब्रॉन्डनेम संबंधी विवादों की जिम्मेदारी के संबंध में शपथ पत्र (*परिशिष्ट क्रमांक 2 अनुसार*) |
| 10 | भारतीय मानक संस्थान (बी.आई.एस) से प्राप्त आई.एस.आई लायसेन्स एवं संबंधित शेड्यूल |
| 11 | अन्य निर्माता के आई.एस.आई लायसेन्स उपयोग करने की स्थिति में दोनों पार्टी के मध्य सहमति का अनुबंध |
| 12 | कृषि यंत्रों की टेस्ट रिर्पोट का प्रथम पृष्ठ जिसमें संस्था का नाम, टेस्ट रिर्पोट क्रमांक, दिनांक, टेस्ट किये गये यंत्र का विवरण उल्लेखित हो। |
| 13 | पंजीयन हेतु प्रस्तुत की जा रही सामग्री की अधिकतम खुदरा मूल्य सूची (एम.आर.पी) |
| 14 | पंजीयन हेतु प्रस्तुत की जा रही सामग्री के दो–दो फोटोग्राफ (प्रत्येक यंत्र हेतु पृथक–पृथक फोटोग्राफ तथा एक सी.एम.एल क्रमांक (आई.एस.आई) की सामग्री हेतु फोटोग्राफ का एक सेट)। *नमूना फोटो के लिये क्लिक करें*। |

## <u>पावर ऑफ अटार्नी</u>

पंजीयन हतु आवेदन एवं शपथ पत्र व संलग्नको में हस्ताक्षर करने के लिए निम्न पदाधिकारी सक्षम होगे–

(क) निजी कंपनी (Proprietary) प्रोपराइटर/मालिक– प्रमाण हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण अपलोड करे।

(ख) निजी भागीदारी कंपनी (Private partnership from)–भागीदार अभिलेख (Parteship deed) अपलोड करें

(ग) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी–मैनेजिंग डायरेक्टर/डायरेक्टर (बोर्ड आफ डायरेक्टर्स Resolution की प्रति अपलोड करे)

उपरोक्त पदाधिकारी (यदि पावर आफ अटार्नी जारी करने हेतु सक्षम है तो) पावर आफ अटार्नी जारी कर अन्य प्रतिनिधि को आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत कर सकते है। अतः प्रतिनिधि आवेदन के साथ पावर आफ अटार्नी की मूल प्रति संलग्न करते हुए आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र व संलग्नको में हस्ताक्षर कर सकेंगे। हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारी/आवेदक को ही मूल अभिलेखों के सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि पर संचालनालय में उपस्थित होना होगा।

## <u>आई.एस.आई. (ISI) लायसेंस</u>

1. *<u>सूची भाग–3</u>* में विभिन्न कृषि यंत्रो, मशीनो एवं उपकरणों की गुणवत्ता प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक अभिलेखो का विवरण दिया गया है।
2. सूची के बिन्दु क्रमांक 7, 11 से 15 (12 'स' छोड़कर) में उल्लेखित सामग्री हेतु आवेदन करने पर आई.एस. आई लायसेंस की स्कैन प्रति अपलोड करनी होगी। जो स्कैन प्रति अपलोड की जावे उसमे वैधता की अवधि उल्लेखित होना चाहिए।
3. संचालनालय से मूल प्रतियों के सत्यापन हेतु पाप्त दिनांक को आवेदित सामग्री से संबंधित लायसेंस के समय–समय पर जारी सभी शेड्यूल की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित होना होगा।
4. शक्तिचलित थ्रेसर के संबंध में आई.एस.आई तथा *<u>खतरनाक मशीन (विनियमन) नियम , 2007</u>* के अंतर्गत प्राप्त दोंनो लायसेंस की स्कैन प्रति भी अपलोड करना होगी।

## ब्रान्डनेम

निर्माता सामग्री के ब्राडनेम के संबंध में निम्न में से उपयुक्त दस्तावेज पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जाना है

(क) ब्राडनेम स्वयं के नाम रजिस्टर्ड होने के स्थिति में– कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंटस, डिजाइन्स एण्ड ट्रेड मार्क्स (Controller General of Patetnts, Designs and Trade marks) द्वारा जारी ब्रांडनेम सर्टिफिकेट संलग्न करें।

(ख) ब्राडनेम अन्य व्यक्ति या कंपनी के नाम रजिस्टर्ड होने की स्थिति में– रजिस्टर्ड धारक से एग्रीमेंट होना आवश्यक होगा। एग्रीमेंट की स्कैन प्रति अपलोड की जाना होगी।

(ग) ब्राडनेम रजिस्टर्ड नही होने की स्थिति में– ***परिशिष्ट क्रमांक–2*** के अनुसार अंडरटेकिंग संलग्न करें।

## टेस्टिंग विवरण–

*भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों* के अनुसार रू. 10,000/– से अधिक कीमत के कृषि यंत्रो/उपकरणों (जिनके बी.आई.एस मानक नही है) हेतु अधिकृत संस्थाना द्वारा जारी टेस्ट रिपोर्ट पंजीयन आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। टेस्ट रिपोट के केवल प्रथम पृष्ठ की स्कैन प्रति ऑनलाइन आवेदन मे संलग्न की जावें। संचालनालय में उपस्थित होने हेतु दिये गये समय एवं दिनांक पर अवलोकन हेतु पूर्ण टेस्ट रिपोर्ट (एक फोटो प्रति सहित) साथ में लाई जावें। अधिकृत संस्थानों एवं उनके द्वारा परीक्षण हेतु मान्य कृषि यंत्रो/उपकरणों की जानकारी ऊपर दर्शाये भारत सरकार के दिशानिर्देशो में उल्लेखित है।

## अधिकतम खुदरा मूल्य सूची–

निर्माता पंजीयन हेतु आवेदित सामग्री की अधिकतम खुदरा मूल्य सूची की स्कैन प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करें। इस हेतु कंपनी द्वारा जारी अधिकतम खुदरा मूल्य सूची भी अपलोड की जा सकती है। जिसमें पंजीयन हेतु आवेदित सामग्री की एम.आर.पी भी अंकित हो।

## फोटोग्राफ–

पंजीयन हतु आवेदित सामग्री के दो फोटोग्राफ जो निम्नानुसार लिये गये हो, अपलोड किये जाने होगे–

1. सामग्री का पूरा फोटो

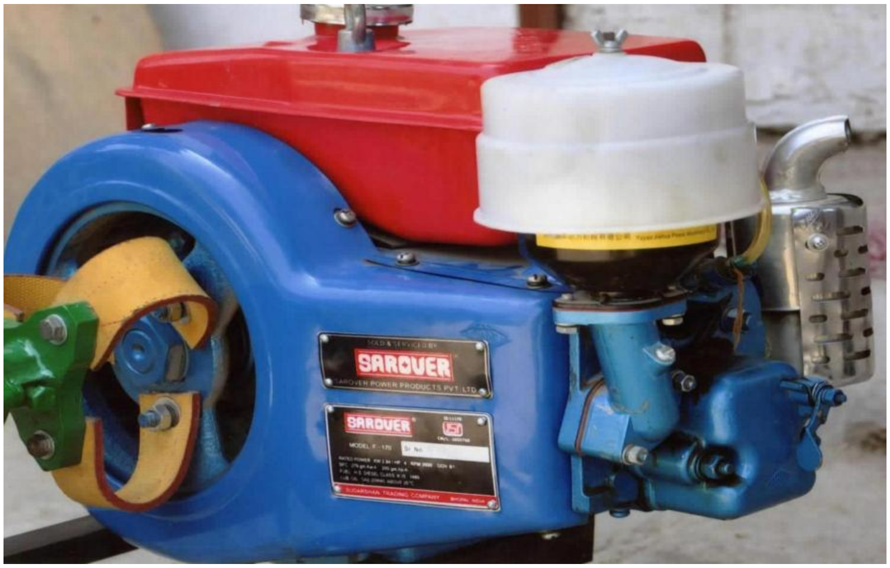


2. सामग्री पर लगी विवरण पट्टी का पास से फोटो

**इंजन–पंप काम्बीनेशन चार्ट–**

डीजल इंजन एवं पंप अलग–अलग इकाई है। दोनो के बी.आई.एस. मानक भो अलग है। अतः समान क्षमता एवं शक्ति के इंजन एवं पंप के संयोजन से संतुलित डीजल–इंजन पंप सेट बनाया जावे। अर्थात इंजन एवं पंप के आर.पी.एम. एवं शक्ति एच.पी समान होना आवश्यक है। इस हेतु आवश्यक जानकारी आवेदन पत्र के ***परिशिष्ट क्रमांक–4*** में दर्शाये अनुसार प्रपत्र में प्रस्तुत करें।

संचालक,कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल